न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/04/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भीमसेन शर्मा निवासी–**R2F-118/B,** गली नं.40 साधनगर–**II,** पोस्ट–पालम कॉलोनी, नई दिल्ली–110045		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 28.01.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.02.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 21.11.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा के तहत राशन संबंधी व बी.पी.एल. कार्ड बनवाने बाबत 04 बिन्दुओं पर प्रत्यर्थी से सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी के उक्त आवेदन दिनांकः 21.11.2018 पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 63–64 दिनांकः 08.01.19 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया गया है, उक्त विनिश्चय से असंतुष्टि के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 25.01.19 के माध्यम से इस कार्यालय को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित कर सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु लिखा गया।
6. उभय पक्ष सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना/2019/150–51 दिनांकः 30.01.2019 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 25.01.19 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांकः 21.11.18 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 04 बिन्दुओं पर वांछित जानकारी प्रश्नात्मक है एवं प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर, दिनांकः 16.12.2011 के अनुसार "**प्रश्न सं0 8 अन्तर्गत** अधिनियम की धारा 2(च) में परिभाषित शब्द सूचना में ***क्यों प्रश्न के उत्तर*** सम्मिलित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण संसूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया अथवा क्यों नहीं किया गया। **औचित्य पर निर्णय** ऐसा मामला है जो न्यायिक प्राधिकरणों के दायरे में आता है और यथोचित रूप में सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उक्त परिपत्र के **प्रश्न सं0 10** के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। ''

9. आलोच्य आवेदन दिनांकः 21.11.18 में खाद्य आपूर्ति राशन नहीं मिलने व बी.पी.एल. कार्ड नहीं बन पाने के कारण अपीलार्थी की परिवेदना भी परिलक्षित होती है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत कवर नहीं होती है। उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो वांछित जानकारी के संबंध में संविधान में उपलब्ध उपयुक्त मंच के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)